



## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण)  
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

रान्धी 22-विनियम/काविनी-29/पाकालि/15/20-विनियम/2015

दिनांक: 25 फरवरी, 2016

### अधिसूचना

“आर्टिकल ॲफ एसोसिएशन” में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिठो के निदेशक मण्डल की दिनांक 05.02.2016 को सम्पन्न 122वीं बैठक में मद स0-122(07) पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय लिपिकीय संवर्ग कर्मचारी सेवा विनियमावली-2015, एतद्वारा, निम्नवत् प्रख्यापित की जाती है :-

### उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय लिपिकीय संवर्ग कर्मचारी सेवा विनियमावली-2015

#### भाग-एक : सामान्य

1. यह विनियमावली - “उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय लिपिकीय संवर्ग कर्मचारी सेवा विनियमावली-2015” कही जायेगी।
2. यह विनियमावली निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
3. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन मुख्यालय लिपिकीय संवर्ग सेवा में कम्प्यूटर सहायक, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा समीक्षा अधिकारी के पद समाविष्ट हैं।
4. जब तक विषय एवं सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस विनियमावली में:-
  - (i) “निदेशक मण्डल” का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल से है।
  - (ii) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य, निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से है।
  - (iii) “निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) से है।
  - (iv) “मुख्यालय” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिठो के मुख्यालय कार्यालय से है।
  - (v) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 माह की अवधि से है।
  - (vi) “संधी भर्ती” का तात्पर्य, इस विनियमावली के भाग-3, भाग-4 एवं भाग-5 में प्राविधानित भर्ती प्रक्रिया से है।
  - (vii) “चयन समिति” का तात्पर्य इस विनियमावली के भाग-6 में प्राविधानित चयन समितियों से है।

(गोप्यता क्रमांक)

(क्रमांक.....2)

(2)

### भाग-दो : संवर्ग

5. सेवा की सदस्य संख्यां और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी निदेशक मण्डल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायगी।
6. जब तक उपरोक्त विनियम-5 के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय में लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों (समूह "ग") के पद एवं उनकी संख्या निम्नवत होगी:-
- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| (i) कम्प्यूटर सहायक        | — 21 पद  |
| (ii) सहायक समीक्षा अधिकारी | — 109 पद |
| (iii) समीक्षा अधिकारी      | — 137 पद |
7. नियुक्ति प्राधिकारी, संवर्ग के किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकता है या आरथगित रख सकता है।
8. निदेशक मण्डल, समय-समय पर आवश्यकतानुसार, अतिरिक्त पदों का सृजन भी कर सकते हैं यदि वह उचित समझें।

### भाग-तीन : भर्ती / प्रोन्नति

9. भर्ती का स्रोत- मुख्यालय में लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती/प्रोन्नति निम्नवत की जायेगी-

(i)	कम्प्यूटर सहायक	(अ) विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा-60% (ब) मुख्यालय में तैनात इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण स्थायी चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों में से निर्धारित विभागीय परीक्षा के माध्यम से कोटा-40% <small>(विभागीय प्रोन्नति प्रक्रिया इस विनियमावली के भाग-छः के विनियम-15 में निहित प्राविधानों के अनुसार सम्पादित की जायेगी)</small>
(ii)	सहायक समीक्षा अधिकारी	(अ) विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा-80% (ब) न्यूनतम् 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके स्थायी कम्प्यूटर सहायकों से प्रोन्नति द्वारा-20%
(iii)	समीक्षा अधिकारी	(अ) न्यूनतम् 07 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके स्थायी सहायक समीक्षा अधिकारियों से प्रोन्नति द्वारा-100%

10. आरक्षण- विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणी के अन्यर्थियों के लिए आरक्षण, उ0प्र0 शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी होने वाले, कारपोरेशन द्वारा अंगीकृत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार लागू होंगे।

*(गोपनीय रूप से)*

(क्रमांक.....3)

(3)

### भाग-चार : अर्हतार्थे

11. सामान्य अर्हतार्थे :-

(i) राष्ट्रीयता	<p>सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-</p> <p>(क) भारत का नागरिक हो, या</p> <p>(ख) तिब्बती शरणार्थी हों, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या</p> <p>(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा (म्याँमार), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन (Migrate) किया हो:</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका हो:</p> <p>प्रतिबन्ध यह भी है कि श्रेणी (ख) में आने वाले अभ्यर्थी को पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा</p> <p>अग्रिम प्रतिबन्ध यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग) में आने वाले अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र में दी गई अवधि के पश्चात सेवा में नहीं रखा जायेगा जब तक उसने भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र न प्राप्त कर लिया हो।</p>
(ii) आयु	<p>न्यूनतम-21 वर्ष</p> <p>(०१ जनवरी से ३० जून तक रिक्तियों के विज्ञापन के सम्बन्ध में न्यूनतम आयु की गणना ०१ जनवरी को तथा ०१ जुलाई से ३१ दिसम्बर तक रिक्तियों के विज्ञापन के सम्बन्ध में न्यूनतम आयु की गणना ०१ जुलाई को की जायेगी)</p> <p>अधिकतम-40 वर्ष</p> <p>(अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबन्ध केवल ऐसे पदों के लिये लागू होगा जो बाह्य अभ्यर्थियों हेतु सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत विद्युत सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किये जायेंगे)</p>
(iii) आयु में शिथिलीकरण	अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सहित आरक्षित वर्ग की अन्य श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट के बही प्राविधान लागू होंगे जो समय-समय पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किये जायेंगे।

*Govind Rastogi*

(क्रमांक.....4)

(4)

(iv)	चरित्र प्रमाण पत्र	<p>(क) नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करवा ले परन्तु किसी भी स्थिति में सत्यापन का कार्य परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद के लिये न छोड़ा जाये। सेवा के मध्य कभी भी पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के प्रतिकूल सूचित किया जाता है तो उसे निरन्तर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तथा उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस, प्रतिकर अथवा वेतन के, निरस्त कर दी जायेगी।</p> <p>(ख) अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>(ग) अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र के दो ऐसे संभान्त व्यक्तियों, जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों, से सत्‌चरित्रता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।</p>
(v)	स्वस्थता प्रमाण पत्र	<p>प्रत्येक अभ्यर्थी, जो प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाये गये हों, को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसे कारपोरेशन ने इसके लिये प्राधिकृत किया हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।</p>
(vi)	वैवाहिक स्थिति	<p>सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी हो, परन्तु यह कि निदेशक मण्डल ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।</p>

नोट— केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से पदच्युत (Dismissed) व्यक्ति/अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए आरोपित दोष सिद्ध व्यक्ति/अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होंगे।

Girayati Rautaji

(5)

## 12. शैक्षिक अहंतायें (सीधी भर्ती) :-

(i)	कम्प्यूटर सहायक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।
(ii)	सहायक समीक्षा अधिकारी	

## भाग-पाँच : सीधी भर्ती की प्रक्रिया

13. कम्प्यूटर सहायक :- कम्प्यूटर सहायक के कुल रिक्त पदों में से 60% पदों पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जायेगी जिसकी प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

(क) लिखित परीक्षा : लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा।

प्रथम भाग :- प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "CCC" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। अर्थात् यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की रिस्ति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अहं न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

द्वितीय भाग :- लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान	50	50
सामान्य हिन्दी एवं व्याकरण (इंटरमीडिएट स्तर)	50	50
सामान्य अंग्रेजी (इंटरमीडिएट स्तर)	50	50
कुल अंक		150

द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर ही टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की "अनन्तिम सूची" (Tentative List) तैयार की जायेगी, अर्थात् ज्यादा अंक पाने वाला अभ्यर्थी अपने से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगा। कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

टंकण हेतु इस "अनन्तिम सूची" में अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष किया जायेगा।

(ख) टंकण परीक्षा :- उपरोक्तानुसार तैयार की गयी "अनन्तिम सूची" के अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की हिन्दी टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा तथा इस टंकण परीक्षा में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का नाम "अनन्तिम सूची" से हटाते हुए जो सूची तैयार होगी, उसमें से रिक्तियों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों को अन्तिम रूप से चयनित कर लिया जायेगा।

टिप्पणी - वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्नपत्रों का प्रारूप विद्युत सेवा आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

*(Gyananta Ranjan)*

(क्रमशः.....6)

(6)

14. सहायक समीक्षा अधिकारी :- सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल रिक्त पदों में से 80% पदों पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

(क) लिखित परीक्षा : लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दों भागों का होगा।  
प्रथम भाग :- प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अहं न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

द्वितीय भाग :- लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान	50	50
सामान्य हिन्दी एवं व्याकरण (इण्टरमीडिएट स्तर)	50	50
सामान्य अंग्रेजी (इण्टरमीडिएट स्तर)	50	50
कुल अंक		150

द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर ही टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की "अनन्तिम सूची" (Tentative List) तैयार की जायेगी, अर्थात ज्यादा अंक पाने वाला अभ्यर्थी अपने से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगा। कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

टंकण हेतु इस "अनन्तिम सूची" में अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष किया जायेगा।

(ख) टंकण परीक्षा :- उपरोक्तानुसार तैयार की गयी "अनन्तिम सूची" के अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की हिन्दी टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा तथा इस टंकण परीक्षा में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का नाम "अनन्तिम सूची" से हटाते हुए जो सूची तैयार होगी, उसमें से रिक्तियों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों को अन्तिम रूप से चयनित कर लिया जायेगा।

टिप्पणी -1. वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्न-पत्रों का प्रारूप विद्युत सेवा आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

2. लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में, उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी किन्तु अंक एवं उम्र दोनों के समान होने की स्थिति में टंकण परीक्षा में अधिक गति प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा।

Gyaneshwar Rastogi

(क्रमांक:.....7)

(7)

### भाग-छ : विभागीय प्रोन्नति प्रक्रिया

15. चतुर्थ श्रेणी (समूह -घ) से कम्प्यूटर सहायक के पद पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति कम्प्यूटर सहायक के 40 प्रतिशत पद, मुख्यालय के चतुर्थ श्रेणी (समूह-घ) के स्थायी कार्मिकों में से विभागीय परीक्षा द्वारा अधोलिखित प्राविधानानुसार भरे जायेंगे :-

- (1) विभागीय परीक्षा में समिलित होने के लिये पात्रता
- (i) अभ्यर्थी न्यूनतम इण्टरमीडिएट की शैक्षिक योग्यता रखता हो।
  - (ii) चतुर्थ श्रेणी के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।
  - (iii) विगत 05 वर्षों की सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो, तथा
  - (iv) विगत 05 वर्षों में से कम से कम 03 वर्षों की गोपनीय प्रविष्टि संतोषजनक हो, जिसमें से अन्तिम वर्ष की प्रविष्टि का संतोषजनक होना आवश्यक है।
- (2) विभागीय परीक्षा का प्रारूप :-
- (क) टंकण परीक्षा- 05 मिनट की हिन्दी टंकण परीक्षा में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा में समिलित होने के पात्र होंगे। टंकण परीक्षा कम्प्यूटर पर ली जायेगी।

(ख) लिखित परीक्षा :

### वस्तुनिष्ठ (Objective)

प्रश्न	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
1.	सामान्य अध्ययन	50	50
2.	सामान्य हिन्दी एवं व्याकरण	50	50
	योग		100

टिप्पणी :

1. लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 01 (एक) अंक का होगा परन्तु गलत उत्तर के लिये अंक कम नहीं किये जायेंगे।
2. विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा उपरोक्त चयन हेतु संयुक्त सचिव (सचिव0प्रशा0) की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा जिसमें उप सचिव/अनु सचिव स्तर के तीन अधिकारी सदस्य होंगें। सदस्यों में एक अधिकारी अनुसूचित जाति का, दूसरा अन्य पिछड़े वर्ग का तथा तीसरा अल्पसंख्यक वर्ग का होगा।
3. लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी एवं व्याकरण का पाठ्यक्रम इण्टरमीडिएट स्तर का होगा।
4. लिखित परीक्षा के लिये प्रश्न-पत्रों का प्रारूप चयन समिति निर्धारित करेगी।
5. लिखित परीक्षा में अधिक से कम अंक प्राप्त करने के क्रम में चयन समिति द्वारा उत्तरीण अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची तैयार कर अग्रिम रूप से अधिकारी हेतु नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
6. लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में, उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी किन्तु अंक एवं उम्र दोनों के समान होने की स्थिति में टंकण परीक्षा में अधिक गति प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा।

*Concurrent Rastech'*

(क्रनश.....8)

16. कम्प्यूटर सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति  
कम्प्यूटर सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित 20 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

- (i) ऐसे स्थायी कम्प्यूटर सहायक वयन हेतु पात्र होंगे जिन्होंने कम्प्यूटर सहायक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।
- (ii) चयन हेतु निदेशक (का०प्र०० एवं प्रशा००) की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय समिति गठित की जायेगी जिसमें संयुक्त सचिव/अधीक्षण अभियन्ता स्तर के तीन अधिकारी सदस्य होंगे। सदस्यों में एक अधिकारी अनुसूचित जाति का, दूसरा अन्य पिछड़े वर्ग का तथा तीसरा अल्पसंख्यक वर्ग का होगा।
- (iii) चयन अनुपयुक्त को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा।
- (iv) प्रोन्नति हेतु 20 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत वांछित संख्या में कम्प्यूटर सहायक उपलब्ध न होने की स्थिति में सहायक समीक्षा अधिकारी के रिक्त रह गये पदों को, निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) से अनुमोदन प्राप्त कर, विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकेगा।

17. सहायक समीक्षा अधिकारी से समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति  
सहायक समीक्षा अधिकारी के पद से समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया निम्नवत होगी:-

- (i) ऐसे स्थायी सहायक समीक्षा अधिकारी चयन हेतु पात्र होंगे जिन्होंने सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर न्यूनतम 07 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।
- (ii) चयन हेतु निदेशक (का०प्र०० एवं प्रशा००) की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय समिति गठित की जायेगी जिसमें संयुक्त सचिव/अधीक्षण अभियन्ता स्तर के तीन अधिकारी सदस्य होंगे। सदस्यों में एक अधिकारी अनुसूचित जाति का, दूसरा अन्य पिछड़े वर्ग का तथा तीसरा अल्पसंख्यक वर्ग का होगा।
- (iii) चयन अनुपयुक्त को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा।

18. समीक्षा अधिकारी के पद से अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति:-  
समीक्षा अधिकारी के पद से अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति, "उ०प्र० पावर कारपोरेशन मुख्यालय अधिकारी सेवा विनियमावली-2013" में निहित प्राविधानों से नियन्त्रित होगी।

Gopal Rastogi

### भाग—सात : नियुक्ति प्राधिकारी, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

19. नियुक्ति प्राधिकारी— निदेशक (का०प्र०० एवं प्रशा००) उपरोक्त सभी पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।
20. परिवीक्षा—
- (i) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति उपरान्त 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
  - (ii) नियुक्ति प्राधिकारी कारणों का उल्लेख करते हुए अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है किन्तु बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि किसी भी परिस्थिति में 01 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
  - (iii) परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या अवधि के अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यदि यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोषजनक सेवा प्रदान करने में विफल रहा है तो प्रोन्नत प्राप्त विभागीय कार्मिक को उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है तथा सीधी भर्ती के कार्मिक की सेवायें समाप्त की जा सकती है।
  - (iv) उपरोक्त उपनियम (iii) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जाएगा अथवा उसकी सेवायें समाप्त की जायेंगी वह किसी प्रतिकार का हकदार न होगा।
21. स्थायीकरण—
- परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के उपरान्त आगामी एक अप्रैल से प्रारम्भिक नियुक्ति के पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—
- (i) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाए।
  - (ii) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो तथा नियुक्त प्राधिकारी को यह समाधान हो जाए कि वह स्थायीकरण के लिए सर्वथा उपयुक्त है।
  - (iii) प्रोन्नति के ऐसे पद जिन पर सीधी भर्ती का भी प्राविधान है, प्रोन्नत कार्मिक को स्थायीकरण के उपरोक्त वर्णित उपबन्धों के अधीन पुनः स्थायी किया जाना आवश्यक होगा।
22. ज्येष्ठता—
- (1) कम्प्यूटर सहायक पद पर— सीधी भर्ती एवं विभागीय परीक्षा के माध्यम से कम्प्यूटर सहायक के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता निम्नवत् निर्धारित की जायेगी :-
- (i) चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से विभागीय परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति (40 प्रतिशत कोटा)– विभागीय परीक्षा के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों की, विभागीय परीक्षा की मेरिट के अनुसार सूची "A" तैयार की जायेगी।

Gyanjali Raut

(10)

(ii) सीधी भर्ती (60 प्रतिशत कोटा)-

सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की, परीक्षा की मेरिट के अनुसार सूची "B" तैयार की जायेगी।

(iii) कम्प्यूटर सहायक के पद पर दोनों स्रोतों से एक ही चयन वर्ष में नियुक्त कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता सूची उनके लिये निर्धारित 40% एवं 60% कोटे के अनुसार 2:3 के अनुपात में निर्धारित की जायेगी जिसमें प्रथम एवं द्वितीय स्थान के लिये विभागीय अभ्यर्थियों के लिये तैयार की गयी सूची "A" से तथा तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम स्थान के अभ्यर्थियों के लिये तैयार की गयी सूची "B" से नाम लिये जायेगे। इसी प्रकार छठे एवं सातवें स्थान के लिये पुनः सूची "A" से तथा आठवें, नौवें एवं दसवें स्थान के लिये सूची "B" से नाम लिये जायेगे। इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत पूरी वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

(2) सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर - सीधी भर्ती एवं विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता निम्नवत् निर्धारित की जायेगी :-

(i) कम्प्यूटर सहायक के पद से प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति (20 प्रतिशत कोटा)-

विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों की, उनकी मेरिट के अनुसार सूची "A" तैयार की जायेगी।

(ii) सीधी भर्ती (80 प्रतिशत कोटा)-

सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की, परीक्षा की मेरिट के अनुसार सूची "B" तैयार की जायेगी।

(iii) सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर दोनों स्रोतों से एक ही चयन वर्ष में नियुक्त कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता सूची उनके लिये निर्धारित 20% एवं 80% कोटे के अनुसार 1:4 के अनुपात में निर्धारित की जायेगी जिसमें प्रथम स्थान के लिये प्रोन्नत अभ्यर्थियों के लिये तैयार की गयी सूची "A" से तथा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम स्थान के लिये सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिये तैयार की गयी सूची "B" से नाम लिये जायेगे। इसी प्रकार छठे स्थान के लिये पुनः सूची "A" से तथा सातवें, आठवें, नौवें एवं दसवें स्थान के लिये सूची "B" से नाम लिये जायेगे। इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत पूरी वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

(3) समीक्षा अधिकारी पद पर - सहायक समीक्षा अधिकारी से समीक्षा अधिकारी के पद पर शत-प्रतिशत प्रोन्नति की व्यवस्था के दृष्टिगत समीक्षा अधिकारी के पद की अलग से ज्येष्ठता निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी। सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर अवधारित की गयी ज्येष्ठता ही संवर्ग के अन्य उच्च पदों पर भी लागू रहेगी।

Gaurati Rastogi

(11)

### भाग—आठ : वेतन

23. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को उ०प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा समय—समय पर यथा अवधारित वेतन एवं भत्ते अनुमत्य होंगे।
24. इस विनियमावली के प्रभावी होने के समय सेवा के विभिन्न पदों पर वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन निम्नवत् निर्धारित हैं—

पद नाम	वेतनमान		
	वेतन बैण्ड का नाम	वेतन बैण्ड (रु०)	सादृश ग्रेड वेतन (रु०)
कम्प्यूटर सहायक	वेतन बैण्ड-१	5200—20200	2600
सहायक समीक्षा अधिकारी	वेतन बैण्ड-२	9300—34800	4200
समीक्षा अधिकारी	वेतन बैण्ड-२	9300—34800	4800

### भाग—नौ : अन्य उपबन्ध

25. ऐसे विषय जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत आवरित न होते हों वे सेवारत सरकारी सेवकों पर उ०प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा सामान्यतः समय—समय पर लागू नियमों/विनियमों एवं आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।
26. इस विनियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से "Uttar Pardesh State Electricity Board Head Quarters Ministerial Staff Services Regulation-1969" (अद्यतन संशोधित) निरसित हो जायेगी।

### भाग—दस : शिथिलीकरण

27. यदि यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई हो रही है तथा न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही आवश्यक हो जाए तो उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी उ०प्र० पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष को ऐसे नियमों को शिथिल करने का विशेषाधिकार होगा।

Gouyadri Rastogi

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

(12)

संख्या 22-(1) विनियम / काविनी -29 / पाकालि / 2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
5. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय) / उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पाकालि, बी-17 जे० रोड, महानगर, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (सचिवप्रशान्ति) उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वैब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन की वेबसाइट,  
www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

*Gayan Rao*  
(गायत्री रस्तोगी)  
अनु सचिव (विनियम)